क्रम संख्या–06

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 15 जनवरी, 2020 ई0

पौष 25, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 16 / XXXVI (3) / 2020 / 71(1) / 2019

देहरादून, 15 जनवरी, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2019'** पर दिनांक 13 जनवरी, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्या: 03 वर्ष, 2020** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2020)

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 12, 2001) को अग्रेत्तर संशोधन के लिए

अधिनियम

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 8 का संशोधन

2. उत्तरखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2001) (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 में–

(i) हिन्दी पाठ में खण्ड 8.2(क) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात:–

"(क) पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों एवं उद्यमों हेतु विनियमों एवं मानकों का गठन करना।"

(ii) खण्ड 8.2(ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:–

"(ख) पर्यटन से सम्बन्धित उद्यमों तथा संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण करना तथा अनुज्ञा पत्र, मान्यता प्रमाण पत्र जारी करना और उनसे इस प्रकार के कार्य की अनुज्ञा हेतु जो शुल्क इत्यादि प्राप्त किये जायेंगे उनके लिये शर्तें निर्धारित करना:

परन्तु यह कि पर्यटन की व्यवसायिक गतिविधियों हेतु निर्धारित नियम अथवा विनियम व अनुज्ञा की किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में परिषद् नियामक प्राधिकारी के रूप में ऐसी शास्ति अधिरोपित व वसूल कर सकेगी, जैसा परिषद् द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय। शास्तियों का भुगतान न किये जाने की दशा में इसकी वसूली भू–राजस्व के बकाया की भांति की जा सकेगी।"

धारा 20 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 20 में उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

"(1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।"

निरसन एवं व्यावृत्ति

4. (1) उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (अध्यादेश संख्या 05 वर्ष 2019) एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 में पर्यटन की व्यवसायिक गतिविधियों हेतु निर्धारित नियम अथवा विनियम के अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में शास्ति का प्रावधान तथा अन्य संशोधन किया जाना अपरिहार्य है। चूंकि तत्समय राज्य विधान सभा सत्र में नही थी। अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2019 प्रख्यापित किया गया था।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है और उपरोक्त उददेश्य की पूर्ति करता है।

सतपाल महाराज
मंत्री।